(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-1, खण्ड-1 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011

सार्वजनिक सूचना सं0 22 /2009-2014(आर ईः 2010)
दिनांक 14 जनवरी, 2011

विषयः- खराब/अनुपयुक्त माल के और/अथवा नामे किए गए शुल्क के पुनः आकलन और/ अथवा अन्य किसी कारण की वजह से पुनर्निर्यात के लिए री-क्रेडिट प्रमाण-पत्र ।

विदेश व्यापार नीति, 2009-2014 के पैराग्राफ 2.4 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रक्रिया-पुस्तक, (खण्ड-1) का पैरा 3.11.6 नीचे वर्णित तरीके से संशोधित किया जा रहा है :-

प्रक्रिया-पुस्तक खण्ड-1 के पैरा 3.11.6 में नई स्क्रिप को जारी करने की प्रक्रिया, खराब/अनुपयुक्त माल के पुनर्निर्यात के मद्दे सीमाशुल्क विभाग द्वारा री-क्रेडिट प्रमाण-पत्र जारी किया गया है, निहित है । निर्यातकों को पहले सीमाशुल्क विभाग से री-क्रेडिट प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होता था और फिर विदेश व्यापार महानिदेशालय के पास नई स्क्रिप के लिए आवेदन करना होता था । नई स्क्रिप जारी करने के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय को आवेदन करने की आवश्यकता को समाप्त करते हुए प्रक्रिया का सरल किया जा रहा है । तदनुसार, प्रक्रिया-पुस्तक खण्ड-1 के पैरा 3.11.6 को तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार, प्रतिस्थापित किया जाएगाः-

''पैरा 3.11.6 खराब/अनुपयुक्त माल के और/अथवा नामे किए गए शुल्क के पुनः आकलन और/ अथवा अन्य किसी कारण की वजह से पुनर्निर्यात के लिए री-क्रेडिट प्रमाण-पत्र ।
नामे डाले गए शुल्क के पुनः-आकलन या खराब अथवा अनुपयुक्त माल के पुनर्निर्यात के मामले में, सीमाशुल्क विभाग ऐसे माल का आयात करते समय प्रयोग की गई स्क्रिप, पुनर्निर्यातित माल के आयात की तिथि और नामे डाली गई राशि के विवरण/पुनः आकलन ब्यौरों सहित री-क्रेडिट प्रमाण-पत्र जारी करेगा । सीमाशुल्क विभाग री-क्रेडिट प्रमाण-पत्र जारी करने की तिथि से छः महीने की अवधि के अंदर 98% की सीमा तक इस री-क्रेडिट राशि के प्रयोग को अनुमत करेगा। विदेश व्यापार महानिदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालयों के द्वारा ऐसे मामलों में नई स्क्रिप जारी करने की कोई आवश्यकता नही रहेगी।''

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः-

* री-क्रेडिट प्रमाणपत्र के प्रयोग की प्रक्रिया को सरल बना दिया गया है;
* शुल्क मामलों के पुनः-आकलन के मामलों को शामिल करने और अन्य किसी कारण की वजह से पुनर्निर्यात के लिए कार्यक्षेत्र को बढ़ा दिया गया है;
* री-क्रेडिट प्रमाणपत्र की वैधता 6 महीने होगी ।

(अनुप के0 पूजारी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ई-मेल :dgft@nic.in

(फाइल सं0 01/91/180/833/एएम11/पीसी-3 से जारी)